

## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/92/2020

राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरनाराम निवासी ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडोती तहसील नगर जिला भरतपुर ।

### बनाम

उपखण्ड अधिकारी नगर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### आदेश


दिनांक 29.12.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त श्री राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरनाराम निवासी फतेहपुर कलां पोस्ट मूडोती तहसील नगर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2020 उपखण्ड अधिकारी नगर से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/772 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी नगर से उनके पत्र क्रमांक/ 637 दिनांक 17.12.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएँ उपखण्ड अधिकारी नगर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने उपखण्ड अधिकारी नगर से सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी नगर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक 637 दिनांक 17.12.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं। उपखण्ड अधिकारी नगर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र क्रमांक 509 दिनांक 02.11.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पों. ने अपीलान्त को वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को ( उपखण्ड अधिकारी नगर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नगर को भी भेजी जावे।

  
(नयमल डिडेल)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

